

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कुडिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुडिया
व भूअ.नि. गिपुड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब
तहसीलदार गिपुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुडिया तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 से (2021) में खाता संख्या 131 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कुडिया	131	जोसरपति मांगीलाल व्याट SBBJ शाखा गिपुड	जोसरपति मांगीलाल व्याट SBI शाखा गिपुड

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 326
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,